अनवान:– किशनाराम बनाम तहसीलदार
मुकदमा नम्बर:– 07 / 2025
निर्णय तारीख:– 06.02.2026

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सांचौर, जिला–जालोर

**पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.**

**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07 / 2025 जीसीएमएस वाद संख्या:–2025 / 316**

| **प्रार्थीगण** | **बनाम** | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. किशनाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्नोई निवासी बी ढ़ाणी, सांचौर हाल बड़सम तहसील सांचौर जिला जालोर। | | 1. भूमिधारी तहसीलदार सांचौर। <br> 2. मंगलाराम पुत्र हेमाराम जाति विश्नोई निवासी बड़सम तहसील सांचौर। |

**अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति :–

प्रार्थी अधिवक्ता श्री अर्जुन देवासी, श्री मदनलाल जाट, श्री प्रकाश पालड़िया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एकपक्षीय।

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः–06.02.2026**

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है:– कि मौजा बड़सम, पटवार हल्का गोलासन, तहसील सांचौर में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त की आराजी खसरा संख्या 1083 / 87 रकबा 0.39 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1084 / 87 रकबा 0.9216 हैक्टेयर, कुल रकबा 1.3116 हैक्टेयर, किस्म बारानी सोयम स्थित है। न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 24.04.2025 को हल्का पटवारी व भू–निरीक्षक के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 18 से 21 के तहत भू–विभाजन प्रस्ताव तैयार कर नक्षे में हरे रंग से दर्शाया गया तथा अंतिम डिक्री के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज की गई। किन्तु हल्का पटवारी द्वारा मौके पर न तो पैमाइश की गई और न ही सैढ़ा कायम किया गया, जिससे पड़ोसी कृषक मंगला द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अवैध अतिक्रमण कर फव्वारा लगाकर फसल बोई जा रही है। तहसीलदार सांचौर द्वारा पैमाइश के आदेश जारी होने पर अप्रार्थी द्वारा विवाद उत्पन्न कर धमकी दी गई, जिसकी रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः न्यायोचित है कि वादग्रस्त भूमि का विधिवत सीमांकन कर पत्थरगढ़ी द्वारा सैढ़ा कायम कराया जाए, जिससे भविष्य में कोई विवाद न हो सके। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1083 / 87 व 1084 / 87, कुल रकबा 1.3116 हैक्टेयर, मौजा बड़सम का सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ी व सैढ़ा कायम कराने हेतु तहसीलदार सांचौर को पुलिस सहायता सहित आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त की आराजी खसरा संख्या 1083/87 रकबा 0.39 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1084/87 रकबा 0.9216 हैक्टेयर, कुल रकबा 1.3116 हैक्टेयर पर न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 24.04.2025 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 18 से 21 के तहत भू–विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज की गई। किन्तु मौके पर न तो पैमाइश की गई और न ही सैढ़ा कायम किया गया, जिससे पड़ोसी कृषक मंगला द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। पैमाइश के आदेश पर अप्रार्थी द्वारा विवाद व धमकी दी गई, जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत है। अतः न्यायोचित है कि वादग्रस्त भूमि का विधिवत सीमांकन कर पत्थरगढ़ी द्वारा सैढ़ा कायम कराया जाए।

4. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पर तहसीलदार सांचौर से सीमांकन आदेश पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.12.2025 को प्रार्थी की आराजी सरहद मौजा बड़सम, पटवार हल्का गोलासन की आराजी खसरा संख्या 1083/87 रकबा 0.39 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1084/87 रकबा 0.9216 हैक्टेयर आराजी का मौका तस्दीक किया गया, मौके पर पड़ौसी खातेदार के फसल खड़ी व मौके पर विवाद होने के कारण सीमांकन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः आराजी सरहद मौजा बड़सम, पटवार हल्का गोलासन की आराजी खसरा संख्या 1083/87 रकबा 0.39 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1084/87 रकबा 0.9216 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

**–: आदेश :–**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि आराजी सरहद मौजा बड़सम, पटवार हल्का गोलासन की आराजी खसरा संख्या 1083/87 रकबा 0.39 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1084/87 रकबा 0.9216 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 30 दिवस में पालना प्रस्तुत करें एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियॉ नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार सांचौर को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)